(12)

न्यायालय राज़स्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : **एस0एस0अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–3154–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–06–2014 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल सम्भाग, भोपाल प्र0 क्र0–19/अपील/2013–14

.....

रियाज़ खां अब्दुल समद खॉ
निवासी–ग्राम नादान तहसील इच्छावर
जिला–सीहोर (म0प्र0)

———आवेदक

विरूद्ध

एजाज़ खां आत्मज अब्दुल समद खॉ
निवासी–ग्राम नादान तहसील इच्छावर
जिला–सीहोर (म0प्र0)

———अनावेदक

.....

श्री अनोज गुप्ता, अभिभाषक, आवेदक
श्री एजाज़ खां, स्वयं, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–06–2014 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम नादान स्थित विवादित भूमि सर्वे नं0 1 रकबा 4.21 एकड़, सर्वे नम्बर 3, 4, 15, 163/15/1, रकबा 2.707 हैक्टेयर अर्थात् 6 एकड़ 69 डेसीमल, सर्वे नम्बर 3/3 3,4,15,163/15/3 ग रकबा 1.23 एकड़ कुल रकबा 12 एकड़ 13 डेसीमल में आवेदक का सम्पूर्ण भूमि पर राजस्वपत्रों में भूमि स्वामी व आधिपत्यधारी के रूप में दिनांक 28.06.2011 तक नाम दर्ज चला आ रहा था। आवेदक की उक्त भूमि में से 7 एकड़ 92 डेसीमल को चोरी छिपे अनावेदक ने संशोधन

पंजी क्रमांक 06 पर अवैध रूप से आदेश दिनांक 28.06.2011 को अपने नाम पर करा लिया गया है। आवेदक को इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं दी गई तथा आवेदक के फर्जी हस्ताक्षर करा लिये गये । उत्तरवादी द्वारा उक्त भूमि का विक्रय करने का ऐलान करने पर आवेदक को हल्का पटवारी से जानकारी होने एवं नामांतरण पंजी की नकल प्राप्त करने पर फर्जी बटवारे का ज्ञान होने पर आवेदक द्वारा प्रथम अपील दिनांक 28.01.2012 को अनुविभागीय अधिकारी, इच्छावर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 11.03.13 को अपील निरस्त करते हुये विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 28.06.2011 यथावत रखा। उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण क्रमांक 19/अपील/2013–14 पर दर्ज किया जाकर पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 द्वारा अपील निरस्त की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम नादान स्थित विवादित भूमि निगरानीकर्ता के पिता जी के भाई अब्दुल सलीम आ0 मोहम्मद खां के नाम पर राजस्व पत्रों में दर्ज थी। सलीम खां द्वारा निगरानीकर्ता को बटवारा प्रकरण क्रमांक के माध्यम से नियमानुसार प्र0क्र0 31/अ–27/1999–2000 आदेश दिनांक 31.08.2000 पारित द्वारा तहसीलदार इछावर के आदेशानुसार निगरानीकर्ता को दी गई थी। निगरानीकर्ता व अनावेदक के पिता अब्दुल समद खां के नाम की भूमि ग्राम नादान व बीरपुरा की अनावेदक के नाम कर दी गई थी। अनावेदक ने स्वयं की भूमि विक्रय कर निगरानीकर्ता जो छोटा भाई है, की भूमि निगरानीकर्ता के संशोधन पंजी क्रमांक 06 ग्राम नादान पर फर्जी हस्ताक्षर कर 7 एकड़ 92 डेसीमल संशोधन पंजी क्रमांक 06 ग्राम भी पारित कर दिया गया। इस प्रकार पटवारी आदि से सांठ–गांव कर फर्जी नामांतरण एवं फर्जी बटवारा कर दिया गया। जबकि वैधानिक रूप से नामांतरण पंजी पर नामांतरण एवं बटवारा नहीं किया जा सकता है । वादग्रस्त भूमि जिसका बटवारा किया गया है, केवल निगरानीकर्ता के नाम पर थी। ज बवह अकेला भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी था। भूमि पैतृक नहीं थी, तो अनावेदक का नाम वैधानिक रूप से बटवारा नहीं किया जा सकता । उन्होंने लिखित तर्क में यह भी कहा है कि किसी भी न्यायालय में बटवारा व नामांतरण का प्रकरण चला ही नहीं व अपील में केवल तर्क किये जाते हैं

पंजी क्र0 6 ग्राम नादान पर बटवारा एवं नामांतरण, निगरानीकर्ता के फर्जी हस्ताक्षर से कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.06.2014 के पैरा 5 में हस्ताक्षर फर्जी होने की जांच के सम्बन्ध में व्यक्त कर कहा कि आवेदक ने रिर्पोट क्यों नहीं की। जांच क्यों नहीं कराई। चूँकि किसी न्यायालय में कोई प्रकरण चला ही नहीं है तो निगरानीकर्ता हस्ताक्षर की जांच कैसे करवा सकता था। निगरानीकर्ता को अनावेदक द्वारा कराये गये फर्जी हस्ताक्षर कर नामांतरण व बटवारे का ज्ञान होने पर संशोधन पंजी क्र0 6 की सत्यप्रतिलिपि लेकर उसने तत्काल अपील प्रस्तुत की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेज के अनावेदक का नाम डाल कर वैधानिक त्रुटि की है। इश्तेहार के सम्बन्ध में तहसीलदार की टिप्पणी को वैधानिक इश्तेहार मान लिया गया, जबकि प्रकरण में कोई इश्तेहार संलग्न ही नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश के पैरा–5 में यह उल्लेख कर की निगरानीकर्ता को 5.00 एकड़ भूमि ग्राम बीरपुरा में दे दी गई भूमि किसकी थी, किसने दे दी ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है जिसे सत्य मानकर अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। इसलिये संशोधन पंजी क्रमांक 6 ग्राम नादान तहसील इछावर, जिला–सीहोर, प्र0क्र0 15/अपील/2011–12 रियाज़ खां वि0 एजाज़ खां में पारित आदेश दिनांक 11.03.2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, इछावर, जिला–सीहोर व प्र0क्र0 19/अपील/2013–14 रियाज खां वि0 एजाज़ खां में पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल विधि के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ अनावेदक द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

5/ आवेदक एवं अनावेदक के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय की संशोधन नामांतरण पंजी क्रमांक 6/71 आदेश दिनांक 28.06.2011 पर इश्तहार जारी होने की टीप के साथ तहसीलदार द्वारा टीप अंकित कर लेख किया है कि खातेदार रियाज एवं एजाज उपस्थित, आपसकी में सगे भाई है। रियाज को 5.00 एकड़ भूमि बीरपुरा में प्राप्त हुई है, भूमि पैत्रिक है, आपसकी बटवारे की सहमती दोनों भाई ने दी है तथा पृथक–पृथक काबिज है, प्रविष्टि प्रमाणित की गई। संशोधन पंजी के

अवलोकन पंजी के अवलोकन के यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार इछावर किया गया, बटवारा दोनों भाईयों की सहमति से किया गया है। क्योंकि संशोधन पंजी पर दोनों भाईयों के हस्ताक्षर भी है। आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष, आयुक्त भोपाल के समक्ष और न ही इस न्यायालय के समक्ष स्वयं के हस्ताक्षर फर्जी होने के संबंध में कोई भी पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है और न ही फर्जी हस्ताक्षर के संबंध में किसी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराने हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। विधि का यह मान्य सिद्धांत है कि सहमती से पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती है। आयुक्त भोपाल ने जो आदेश पारित किया है वह विधि के अनुकूल है। अतः उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

6/ अतएव उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2014 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,